रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 2011/वैशाख 21, 1933
No. 101] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2011/VAISAKHA 21, 1933

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 6 मई, 2011

सं. टीएएमपी/15/2006-टीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वाँ) की धारा 48, 49 और 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा पूर्वकाल में तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास अब व.उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास की प्रचलित दरमान की वैधता की अवधि को संलग्न आदेशानुसार बढ़ाता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/15/2006-टीपीटी

आदेश

(मई, 2011 के दूसरे दिन पारित)

यह मामला पूर्वकाल में तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास अब व. उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास की प्रचलित दरमान की वैधता के अवधि बढ़ाने से संबंधित है ।

2. इस प्राधिकरण ने दिनांक 14 जुलाई, 2008 को आदेश संख्या टीएएमपी/15/2006-टीपीटी के माध्यम से पिछली बार अनुमोदित किया था । आदेश दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2010 तक निर्धारित करता है । इस प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 31 मार्च, 2010 के माध्यम से दरमान की वैधता 30 सितंबर, 2010 तक अथवा संशोधित दरमान की कार्यान्वयन के प्रभावी तिथि, इसमें से जो भी पहले हो, अवधि तक बढ़ाया जाता है ।

3. मार्च, 2010 में दरमान की सामान्य संशोधन के लिए वीओसीपीटी द्वारा दाखिल बृहत प्रस्ताव को प्रशुल्क मामला के रूप में पंजीकृत किया गया है एवं इसे परामर्श के लिए रखा गया है । इस मामले में संयुक्त सुनवाई की कार्रवाई 29 मार्च, 2011 को संपन्न हुई थी । संयुक्त सुनवाई की कार्रवाई में पत्तन ने दिनांक 15 अप्रैल, 2011 तक अद्यतन लागत विवरणी एवं अपेक्षित सूचना को प्रस्तुत करने के लिए सहमति व्यक्त किया था । अनुस्मारक देने के बावजूद भी, पत्तन से प्रत्युत्तर अभी तक प्रतीक्षित है ।

4. जैसा कि पत्तन की प्रत्युत्तर प्राप्ति के उपरांत, मामला को अंतिम विचार विमर्श के लिए परिपक्व होने में कुछ और समय चाहिए, यह प्राधिकरण वीओसीपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता के समाप्त तिथि से 30 सितंबर, 2011 तक अथवा संशोधित प्रशुल्क की कार्यान्वयन के प्रभावी तिथि, इसमें से जो भी पहले हो, अवधि तक बढ़ाया जाता है ।

5. इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान, यदि 1 अप्रैल, 2010 के बाद वाली अवधि में स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समायोजित किया जायेगा ।

रानी जाधव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/11-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th May, 2011

No. TAMP/15/2006-TPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the Scale of Rates at the V. O. Chidambarnar, erstwhile Tuticorin Port Trust, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/15/2006-TPT

ORDER

(Passed on this 2nd day of May 2011)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the V. O. Chidambarnar Port Trust (VOCPT), erstwhile Tuticorin Port Trust.

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the VOCPT was last approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/15/2006-TPT, dated 14th July, 2008. The Order prescribed the validity of the SOR till 31st March, 2010. The Authority extended the validity of the SOR till 30th September, 2010 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier *vide* Order dated 31st March, 2010.

3. The comprehensive proposal filed by the VOCPT for general revision of its Scale of Rates filed in March 2010 is registered as tariff case and is taken on consultation. Joint hearing in this case was held on 29th March, 2011. At the Joint hearing the port trust has agreed to update the cost statements and furnish requisite information/details by 15th April, 2011. Response of the port is still awaited, despite reminder.

4. As it will take time for the case to mature for final consideration after receipt of the response of the Port, this Authority extends the validity of the existing SOR of the VOCPT from the date of its expiry till 30th September, 2011 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

5. If any surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1st April, 2010, during the review of its performance, such surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT. III/4/143/11/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.